2

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 103/2017

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेंट
यशोवर्धन पुत्र भवानीशंकर शर्मा निवासी खागल मोहल्ला वार्ड संख्या 04 बाड़मेर		सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार,सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

निर्णय दिनांक 22.01.2018

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदार,सिवाना से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने सहायक लोक सूचना अधिकारी–तहसीलदसार,सिवाना को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 09 में वर्णित सूचना चाही थी। अपीलांट का यह कथन है कि उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिये सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. हमने अपील, अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। रेस्पोडेंट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में यह बताया कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या 02 व 07 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 01,3,4,5,8 की चाही गई सूचना में विशिष्टियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से सूचना देय नहीं होना एंव बिन्दु संख्या 06 व 09 की सूचना कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होना बताया है।
4. हमने पत्रावली एंव रेस्पोडेंट से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया। अपीलांट ने सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत आवेदन पत्र पेश कर, आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 09 की सूचना चाही थी। अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना के अवलोकन से बिन्दु संख्या 02 व 07 की वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 01,3,4,5,8 की में वांछित सूचना का पूर्ण स्पष्ट विवरण अंकित नही किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध के अन्तर्गत आवेदन पत्र में अपने द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टिया विनिर्दिष्ट करते हुए

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवेदन किया जायेगा। अतः जिस लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही जाती है,आवेदन पत्र मे उसका स्पष्ट विवरण दिया जाना अपेक्षित है। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2017 मे उक्त बिन्दुओ में वर्णित सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही किया है, जिससे सूचना उपलब्ध कराने मे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। लिहाजा बिन्दु संख्या 01,3,4,5 व 8 की सूचना देय नहीं हैं। बिन्दु संख्या 06 व 09 की सूचना रेस्पोडेंट के कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से दी जाना संभव नहीं है।

5. अतः अपीलांट की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती हैं।
6. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner